बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023.6749 पटना, दिनांक :–

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), सुपौल के पत्रांक 83 दिनांक 14.01.2023 द्वारा सुश्री रमा देवी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01195) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 12.11.2022 से बिना किसी सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हैं एवं शिविर कार्यालय द्वारा मोबाईल पर सम्पर्क करने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिससे संबंधित मौजा का कार्य बाधित है। फलस्वरूप इनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2946 दिनांक 25.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग 03 माह तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 5152 दिनांक 11.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का मौका दिया गया है। इतने स्पष्ट निदेश एवं अवसर प्रदान करने के उपरांत भी अपने उपर लगे आरोपों की विरूद्ध स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

प्राप्त प्रतिवेदन एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि ये माह नवम्बर, 2022 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित चल रही हैं। प्रस्तुत मामले में नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये अपने पक्ष में कोई बात कहना नहीं चाहती हैं, जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। साथ ही इनका कृत्य लगाए गए आरोप को प्रमाणित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिसमें इनकी सहभागिता की आवश्यकता है परन्तु इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। अतः ऐसे कर्मी का संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री रमा देवी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01195) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

30/8/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023.6749 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री रमा देवी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01195), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023 6749 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0–राज्य यो0(आरोप)सुपौल–32 / 2023 6749 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप